

धारीक
द्वारा

द्वारा या कार्यवाही मय इनिशियलस अथ

संख्या
दिनांक

26-12-17

~~वकुलाश मरीचक दायिग
वकील प्रथी के कपिल
अवल दिये जाने के बावजूद भी
अपार्कीयन की तकवी हेतु 1/1/2018
अगल एक वर्ष ले पेश नही किये
जा रहे हैं। अतः प्रथी दाय प्रवृत्त
प्रार्थना परा तकवी के अभाव में
O.9. R-5 CPC के तहत खारिज
किया जाता है। फावली कोलन अगल
होकर अगल ले का हो।~~

~~निर्णय ले अजलाय हुआ अतः~~

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आदर जिला-जायपुर